(1)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु०नं० 1/16 तारीख रजू 6.1.16

उनवान – श्रीलाल बनाम किसल्ली

दावा बाबत घोषणा खातेदारी (इन्द्राज दुरुस्ती)

वादी की ओर से श्री रामअवतार सी गुप्ता Adv. ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी पेश किया। शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 29.1.16 को पेश हो। 41-42 / 8.1.16

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

29.1.16 वादी वकील उप०। प्रतिवादी उप०। वकालतनामा पेश करने वास्ते समय दिये जाने का कथन किया। वकालतनामा पेश करने समय दिया गया। दिनांक 17.2.16 को पेश हो। नि० किशनल्ली

नि० इन्द्रराम

17.2.16 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी भ्रमण पर है। गतानुसार दिनांक 2.3.16 को पेश हो।

2.3.16 वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 1 व 2 उपस्थित नहीं हो रहे हैं विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 6.4.16 को पेश हो

6.4.16 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी भ्रमण पर पधारे है। गतानुसार दिनांक 4.5.16 को पेश हो।

4.5.16 वादी वकील उप०। गतानुसार वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 7.7.16 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कुड़ावल में दिनांक 17.6.16 को पेश हो।
17.6.16	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कुड़ावल में पेश हुई। वादी एवं वादी वकील उपस्थित। साक्ष्य में ~~पेश~~ जमाबंदी पेश की गई। वादपत्र के साथ जमाबंदी का अवलोकन कि। वादी वकील ने कथन किया कि वाद पत्र में अंकित खाता संख्या 11, 13 में हिस्सा सही दर्ज है उन खातो में हिस्सा दुरुस्त करना आवश्यक नहीं है खाता संख्या 48 में जो हिस्सा दर्ज हो रहा है वह साबिक रिकार्ड एवं रजिस्ट्री के अनुसार सही दर्ज नहीं हुआ है उसे सही दर्ज किया जावे। वादी एवं वादी वकील के कथन पर मनन किया तथा पत्रावली में शामिल साबिक जमाबंदी सम्वत 2038-41, हाल जमाबंदी सम्वत 2070-73 मिलान क्षेत्रफल एवं रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र का अवलोकन किया गया। साबिक खसरा नम्बर 33 रकबा 1.11 9 सुगरया S/o सोन्या हि. 1/2 जौहरया, हेरत, रमला पि. गुलाब हि. 1/2 जाति जोगी के नाम दर्ज थी जौहरया की मृत्यु के पश्चात उनकी विरासत किसली, कुंजी, भूरसिंह जसरथ पि. जौहरया, मुधरी बेवा जौहरया के नाम दर्ज हो गई। भूरसिंह, कुंजी पि. जौहरया

लाल

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क	फर्द अहकाम	
	तथा मुधरी बेवा जौहरया ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात 1/6 में से 1/30 + 1/30 + 1/30 (क्रेता) वादी हीरालाल s/o धीरया जाति जोगी को जरिये रजि० विक्रय पत्र, अन्य खातो की भूमि के साथ दिनांक 20.6.95 को विक्रय कर दिया। हाल जमाबंदी मे साबिक ख.नं. 33 से बने नवीन ख.नं. 246, 255, 256 कुल किता 3 कुल रकबा 0.20 हे० में बाबू s/o सुगरया हि० 1/2 किसल्ली जसरथ पि० जौहरया हि० ब० हि० 7/30 नि.ग्राम, हीरालाल s/o धीरया हि० 1/10 जाति जोगी नि.खानपुर, बाबू मनोहरी पि० हरेत हि० 1/3 ब्रजमोहन, जगमोहन, भूरसिंह, तुलसी, मुकुट बिहारी, पि० रमता हि० ब० 1/3 दर हिस्सा 1/2 जाति जोगी नि. ग्राम खातेदार दर्ज हो रहा है जो सही नहीं है। ग्राम बदलेटा खुर्द की जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 48 में निम्न प्रकार इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते हैं – बाबू पुत्र सुगरया हि० 1/2 किसल्ली जसरथ पि० जौहरया हि.ब. हिस्सा 1/15 नि.ग्राम, हीरालाल पुत्र धीरया हि० 1/10 जाति जोगी निवासी खानपुर, बाबू, मनोहरी पि. हरेत हि.ब. हिस्सा 1/6 ब्रजमोहन, जगमोहन, भूरसिंह तुलसी मुकुट बिहारी पि० रमता हि.ब. हिस्सा 1/6 जाति जोगी नि.ग्राम खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि० 17.6.16 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	

(उपजिला कलक्टर)
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner